

### नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 7/11/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 7/11/2023 को दोपहर 02:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

- A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-
1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामित)
  2. श्री एस के राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
  3. श्री मयंक, सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)
  4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
  5. श्री दुर्गेश, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) किरण मोहन मोहाडीकर, उप. विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), (ii) अमित गुप्ता, विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-
- D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 17/10/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

17/10/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 17/10/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से संशोधित किया गया।

(2) पीजेएस ओवरसीज लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित करना।

सुरेंद्र मलिक

2.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स पीजेएस ओवरसीज लिमिटेड ने "सोने के सादा आभूषणों" के निर्माण (71131911) (24865 किलोग्राम/प्रति वर्ष) के लिए नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

2.2 श्री प्रशांत गर्ग, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री गर्ग ने बताया कि इकाई वर्तमान में हरियाणा के सोनीपत में एक डीटीए इकाई के साथ चावल उत्पादन में लगी हुई है। अब उन्होंने सोने के आभूषणों के विनिर्माण और निर्यात के व्यवसाय में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि वे या तो सोने का आयात करेंगे या इसे भारतीय बैंकों से खरीदेंगे और आभूषणों को मुख्य रूप से दुबई और हांगकांग में निर्यात करेंगे। अनुमोदन समिति ने पाया कि संस्थापक को आभूषण व्यवसाय में कोई अनुभव नहीं था।

2.3 बताया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन समिति द्वारा दिनांक 05/09/2023 को आयोजित बैठक में भी विचार किया गया। अनुमोदन समिति के निर्देशानुसार निर्यात आदेशों का सत्यापन किया गया। इस संदर्भ में, खरीदार और सीजीआई, दुबई से इनपुट प्राप्त हुए हैं।

2.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एक आंतरिक जांच करने का निर्देश दिया और फाइल पर अंतिम निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को अधिकार दिया।

### (3) अर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अध्याय 22 के तहत अतिरिक्त भंडारण वस्तुओं का समावेश।

3.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स मेसर्स अर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने अध्याय 22 अर्थात् 2201 (22011010, 22011020, 22019010, 22019090) 2202 (22021010, 22021020, 22021090, 22029100, 22029910, 22029920, 22029930, 22029990); 22030000, 2204 (22041000, 22042110, 22042120, 22042190, 22042210, 22042220, 22042290, 22042910, 22042920, 22042990, 22043000); 2205 (22051000, 22059000); 22060000; 2207 (22071011, 22071019, 22071090, 22072000); 2208 (22082011, 22082019, 22082091, 22082099, 22083011, 22083012, 22083013, 22083019, 22083091, 22083092, 22083093, 22083099, 22084011, 22084012, 22084091, 22084092, 22085011, 22085012, 22085091, 22085092, 22086000, 22087011, 22087012, 22087091, 22087092, 22089011, 22089012, 22089019, 22089091, 22089092, 22089099); 2209 (22090010, 22090020, 22090090) के तहत शराब सहित अतिरिक्त भंडारण वस्तुओं को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

3.2 श्री राघव झुनझुनवाला, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उक्त कंपनियां मूल निर्माता या ब्रांड मालिकों के वितरण, विपणन और बिक्री आदि के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे बॉटलिंग पैकिंग या रीपैकिंग आदि जैसी किसी भी प्रक्रिया के बिना केवल भंडारण सेवाएं प्रदान करेंगे। हालाँकि, एमआरपी और अन्य जानकारी की लेबलिंग होगी जो डीटीए में मंजूरी से पहले राज्य उत्पाद शुल्क कानूनों और एफएसएसआई नियमों के अनुसार अनिवार्य है।

सुरेंद्र मालिक

I/53038/2023

3.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि आयात नीति के साथ-साथ 22072000 (एथाइल शराब और अन्य स्पिरिट, विकृत, किसी भी ताकत की) की निर्यात नीति प्रतिबंधित है।

3.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आंतरिक जांच करने और शराब के भंडारण के संबंध में अन्य एसईजेड में भी जांच करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को फाइल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया।

**(4) अमिगा इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए की वैधता में विस्तार, अधिकृत संचालन में संशोधन और व्यवसाय के क्षेत्र में बदलाव; इकाई के निदेशकों/शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव और वैध एलओए और अधिकृत संचालन के बिना व्यवसाय शुरू करने की समीक्षा।**

4.1 बताया गया कि मेसर्स अमिगा इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 20/02/2018 को एलओए जारी किया गया था। यह सूचित किया गया कि इकाई ने अधिकृत संचालन में संशोधन के साथ-साथ "तैयार कपड़ों का विनिर्माण (आईटीसी एचएस कोड 6210) (उत्पादन क्षमता: 1,50,000 टुकड़े/प्रति वर्ष); (ii) मेसर्स ईशक्ति.कॉम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से "आईटी सक्षम सेवाओं और बीपीओ" के लिए नियम 41(1) के तहत नौकरी-कार्य गतिविधि, एलओए की वैधता 19/02/2021 से आगे के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, निम्नलिखित विवरण के अनुसार इकाई के निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव हुआ है

(ए) निदेशकों में परिवर्तन:

पिछले निदेशक	वर्तमान/संशोधित निदेशक
1. श्री धनंजय प्रताप सिंह	1. श्री धनंजय प्रताप सिंह
2. श्रीमती रागिनी सिंह	2. श्रीमती रागिनी सिंह
3. श्री विपिन सिंह	3. श्री विपिन सिंह
9. श्री डैनियल ह्यूजेस कैलाहन	4. श्री नरेंद्र प्रताप सिंह (10/07/2019 से नियुक्त)
	9. श्री डैनियल ह्यूजेस कैलाहन

(बी) इकाई के शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव का विवरण (दिनांक 31/01/2020 के पत्र के अनुसार) इस प्रकार है:

शेयर धारक का नाम	% शेयरधारिता (परिवर्तन से पहले/इस कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार)	%शेयरधारिता (परिवर्तन के बाद)
1. श्री धनंजय प्रताप सिंह	50%	39%
2. श्री विपिन सिंह	50%	46%
3. श्रीमती रागिनी सिंह	-	10%
4. श्री सचिन सिंह	-	-

सुरेंद्र मलिक

शेयर धारक का नाम	% शेयरधारिता (परिवर्तन से पहले/इस कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार)	%शेयरधारिता (परिवर्तन के बाद)
कुल	100%	100%
शेयरधारिता में परिवर्तन		15%

4.2 इकाई से कोई भी बैठक के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि तत्काल प्रस्ताव एलओए की वैधता को 19/02/2021 से 19.02.2024 तक बढ़ाने के लिए है और अब यह मामला एसईजेड नियम 2006 के नियम 19(4) के तहत विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, इस मामले में किसी भी आगे के विस्तार पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन बोर्ड है।

4.3 आगे बताया गया कि इकाई द्वारा प्रस्तुत चालान की प्रतियों के अनुसार, यह देखा गया है कि इकाई ने अप्रैल 2023 में नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) परिसर के नाम पर 'आईटी सक्षम सेवाओं' के लिए चालान जारी किया है, जबकि इसका एलओए केवल 19/02 2021 तक वैध था, और वर्तमान में स्वीकृत अधिकृत परिचालन मेसर्स ईशक्ति के लिए रेडीमेड कपड़ों के निर्माण और जॉब-वर्क के लिए हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अप्रैल-2023 से बहुत पहले ही एलओए आवेदन कर दिया था और यह प्रक्रियाधीन था। वे मासिक अनुपालन (किराया/बिजली आदि) का भुगतान लगातार समय पर कर रहे हैं। इकाई ने आगे बताया है कि वे केवल नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के साथ काम कर रहे हैं, वर्तमान समय में उनके (अमिगा इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड) सभी कर्मचारी घर से ऑनलाइन काम (work from home) कर रहे हैं।

4.4 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने वैध एलओए और अधिकृत संचालन के बिना व्यवसाय करके एसईजेड अधिनियम 2005 और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है। अनुमोदन समिति ने एलओए की शर्तों के साथ-साथ एसईजेड नियमों/अधिनियम के उल्लंघन पर गंभीरता से विचार किया। अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि तत्काल प्रस्ताव एलओए की वैधता को 19/02/2021 से आगे बढ़ाने के लिए है और अब अनुरोध एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19(4) के तहत विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के दायरे में नहीं आता है। , इस मामले में किसी भी आगे के विस्तार पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन बोर्ड है।

4.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया कि एसईजेड अधिनियम और नियमों और विदेशी व्यापार (विकास और अधिनियम, 1992 एलओए की शर्तों के उल्लंघन और एलओए में शामिल वैध एलओए और अधिकृत संचालन के बिना व्यवसाय करके एसईजेड अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के लिए विकास के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अनुमोदन समिति ने एलओए की वैधता में

सुरेंद्र मलिक

विस्तार के प्रस्ताव को वाणिज्य विभाग को मामले के तथ्यों (जैसे अनुमोदन समिति द्वारा तय की गई निर्णय कार्रवाई) के साथ सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निर्देश दिया।

**(5) एडवांस इस्पात (इंडिया) लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण।**

5.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स एडवांस इस्पात (इंडिया) लिमिटेड को मचान निर्माण (73089090) (5000 मीट्रिक टन/वर्ष) के लिए दिनांक 01/06/2004 को एक एलओए जारी किया गया था। इकाई का एलओए 31/10/2022 तक वैध था। अब, इकाई ने वर्तमान ब्लॉक की शेष अवधि यानी 23/11/2026 तक के लिए एलओए के आगे नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।

5.2 आगे बताया गया कि अनुमोदन समिति ने 05/12/2018 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स एडवांस इस्पात (इंडिया) लिमिटेड के एलओए को 23/11/2016 से इसकी वैधता की समाप्ति से रद्द मानने का निर्णय लिया था। यह ध्यान में रखते हुए कि इकाई ने 2010-11 के बाद से कोई निर्यात नहीं किया है। इकाई ने उक्त निर्णय के विरुद्ध बीओए के समक्ष अपील दायर की। बीओए ने 25/02/2019 को आयोजित अपनी बैठक में इस आधार पर मामले को पुनर्विचार के लिए अनुमोदन समिति, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को भेज दिया कि इकाई को रद्द करने से पहले सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था और जब निर्यात प्रभावित नहीं हुआ तो इकाई ने अन्य एसईजेड इकाइयों के लिए जॉब-वर्क किया। बीओए के उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, अनुमोदन समिति ने 07/08/2019 को आयोजित अपनी बैठक में बीओए के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और इकाई द्वारा सालाना किए जाने वाले लगभग 32 लाख रुपये के कार्य-कार्य को ध्यान में रखते हुए, जो विधिवत किया गया था नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क द्वारा सत्यापित, 31/03/2021 तक की अवधि के लिए एलओए को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया और इकाई को नवीनीकृत अवधि के भीतर अपनी निर्यात गतिविधियों को शुरू करने का निर्देश दिया।

5.3 आगे बताया गया कि अनुमोदन समिति ने 05/07/2022 को आयोजित अपनी बैठक में एलओए के नवीनीकरण के लिए इकाई के प्रस्ताव पर विचार किया और संचालन के अंतिम ब्लॉक में इकाई के प्रदर्शन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। हालाँकि, अमेरिका से निर्यात आदेशों के संकेत के आधार पर, समिति ने इकाई के एलओए को 31.10.2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया और इकाई को विदेशी मुद्रा में अपनी नौकरी-कार्य गतिविधियों के लिए बिलिंग शुरू करने और सभी लेनदेन एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली की प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

5.4 इस मामले पर अनुमोदन समिति द्वारा 06/12/2022 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया था, हालाँकि इकाई से कोई भी बैठक के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तदनुसार, मामले को स्थगित कर दिया गया था। इस मामले को 03/01/2023 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति के समक्ष फिर से रखा गया, जिसमें इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष बैठक के लिए उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि कई अवसर देने के बावजूद, इकाई से कोई भी बैठक के लिए उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने इकाई प्रतिनिधि की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने आगे

सुरेंद्र मलिक

I/53038/2023

पाया कि इकाई ने आश्वासन के बाद भी निर्यात गतिविधियाँ शुरू नहीं की हैं। अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को एक एससीएन जारी करने का निर्देश दिया ताकि यह बताया जा सके कि उनके शून्य निर्यात प्रदर्शन और बैठक के लिए प्रतिनिधियों की गैर-उपस्थिति के मद्देनजर उनका एलओए क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए। अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क को इकाई का भौतिक निरीक्षण करने और इकाई की गतिविधियों/प्रदर्शन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के बाद, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) इकाई को व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करेगा और उचित करेगा। हालाँकि, इकाई द्वारा जो माल लिया गया है और जिसे एचएस कोड और उत्पादों के विवरण के साथ अन्य एसईजेड इकाई में वापस भेजा गया है, उससे संबंधित कुछ जानकारी के अभाव में एससीएन जारी नहीं किया जा सका।

5.5 नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क ने अपने पत्र दिनांक 13/01/2023 के माध्यम से सूचित किया था कि एओ और इकाई पीओ ने 03/01/2023 को इकाई के परिसर का दौरा किया था और निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रदान की थी:

“(ए) भले ही इकाई का एलओए 31.10.2022 को समाप्त हो गया था, इकाई 20 से अधिक श्रमिकों के साथ विभिन्न मशीनों पर विभिन्न कार्य करते हुए कार्यात्मक पाई गई थी।

(बी) एडवांस इस्पात के निदेशक श्री आशीष अग्रवाल द्वारा टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बताया गया कि मेसर्स एडवांस इस्पात और मेसर्स क्लिफ स्कैफोल्डिंग के बीच जॉब-वर्क के संबंध में कोई औपचारिक/लिखित समझौता नहीं है। श्री गौरव शर्मा, जो मेसर्स एडवांस इस्पात के इकाई प्रतिनिधि होने का दावा करते थे, इकाई के दौरे के समय अपने पेरोल पर एक भी कर्मचारी को पेश करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि वह स्वयं मेसर्स एडवांस इस्पात के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि उनकी कंपनियों के समूह के कर्मचारी हैं और इकाई के प्रबंधन की देखरेख करते हैं।

(सी) कोई भी कर्मचारी अनुरोध पर नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) एंट्री कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उनमें से सभी मेसर्स क्लिफ स्कैफोल्डिंग के साथ कार्यरत थे।

(डी) इकाई जांच के दौरान निरीक्षण किए गए सभी दस्तावेजों का रखरखाव मेसर्स क्लिफ स्कैफोल्डिंग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) नौएडा द्वारा किया गया था, जिसमें मेसर्स एडवांस इस्पात के प्रेषण चालान भी शामिल थे।

(ई) उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि इकाई में उपलब्ध कुछ पूंजीगत सामान मेसर्स एडवांस इस्पात से संबंधित थे, जबकि बाकी पूंजीगत सामान और सभी कच्चे माल मेसर्स क्लिफ स्कैफोल्डिंग से संबंधित थे।

सुरेंद्र मलिक

5.6 श्री आशीष अग्रवाल, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे मेसर्स क्लिफ स्कैफोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए जॉब-वर्क कर रहे हैं। कच्चे माल की आपूर्ति क्लिफ स्कैफोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाती है और उनका कार्य क्षेत्र केवल जॉब-वर्क है। उन्होंने बताया कि चूंकि उन्होंने एलओए नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा किया था, इसलिए उनका विचार था कि वे अपने परिसर से विनिर्माण गतिविधि/जॉब-वर्क जारी रख सकते हैं।

5.7 श्री अग्रवाल ने आगे बताया कि श्रमिकों को उनके ठेकेदार के माध्यम से काम पर रखा गया है जिसके लिए वे ठेकेदार को वेतन का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जॉब-वर्क के बदले विदेशी मुद्रा के साथ-साथ भारतीय रुपये में भी भुगतान प्राप्त हुआ है।

5.8 अनुमोदन समिति ने पाया कि अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताई गई भिन्नता है, जैसा कि उनके दिनांक 25/08/2023 के पत्र और नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेखित है।

5.9 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:

- (i) कारण कि उन्होंने अन्य एसईजेड इकाइयों को आपूर्ति कैसे की, जबकि इकाई का एलओए 31.10.2022 को समाप्त हो गया था।
- (ii) 31/10/2022 के बाद, प्रत्येक आपूर्ति के विरुद्ध भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान के ब्रेक-अप के साथ अन्य एसईजेड इकाइयों को कितनी आपूर्ति की गई है।
- (iii) वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-2022 के दौरान क्रमशः 10.81 लाख रुपये और 21.69 लाख रुपये की अन्य इकाइयों को की गई आपूर्ति के मुकाबले भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान का विवरण।
- (iv) (iv) सीए द्वारा देखी गई कमियों के सुधार के बाद सही वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR)।

5.9 अनुमोदन समिति ने मेसर्स क्लिफ स्कैफोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का भी निर्देश दिया कि उन्होंने मेसर्स को कच्चे माल की आपूर्ति कैसे की और तैयार माल कैसे खरीदा। एडवांस इस्पात (इंडिया) लिमिटेड का एलओए 31/10/2022 को समाप्त हो गया था। अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क को उचित जांच करने का निर्देश दिया और बाद में विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) का कार्यालय मामले में उचित कार्रवाई कर सकता है।

**(6) प्रोटीम कंप्यूटर - एलओए का नवीनीकरण, अधिकृत संचालन/आईटीसी (एचएस) कोड का अद्यतनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।**

6.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स प्रोटीम कंप्यूटर को "मदर बोर्ड, ऐड ऑन कार्ड, बेयर बोन पीसी, स्काइप फोन, ओ.डी.डी., मेमोरी (डीडीआर 1 और 2) और सहायक उपकरण पीसी का (8471) (852000

सुरेंद्र मलिक

टुकड़े/वर्ष); (2) सॉफ्टवेयर का निर्माण और पुनर्रचना, पुनर्निर्माण, पुनर्सज्जा, अपग्रेडिंग, घटकों को पुनः प्राप्त करना, रीपैकिंग, कंप्यूटर पेरिफेरल्स की पुनः निर्माण (8473)" के लिए दिनांक 08/07/2005 को एलओए जारी किया गया है। इकाई का एलओए 31/12/2022 तक वैध था।

6.2 आगे बताया गया कि अनुमोदन समिति ने 03/03/2023 को आयोजित अपनी बैठक में एलओए के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया और इकाई को 8 अंकों के आईटीसी (एचएस) कोड और विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट के साथ तैयार उत्पादों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने फाइल पर मौजूद दस्तावेजों/जानकारी की जांच करने और विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के सशक्त कार्यालय को फाइल पर एलओए के नवीनीकरण के लिए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

6.3 आगे बताया गया कि इकाई ने विनिर्माण गतिविधि और पुनर्रचना/पुनर्निर्माण/पुनर्सज्जा/पुनः निर्माण गतिविधि के लिए अपनी वस्तुओं के साथ 112 वस्तुओं का उल्लेख करते हुए संशोधित फॉर्म-एफ1 जमा किया है।

6.4 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर समिति ने गंभीरता से विचार किया।

6.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को विनिर्माण गतिविधि के लिए वस्तुओं की विशिष्ट/अलग सूची और पुनर्रचना/पुनर्निर्माण/पुनर्सज्जा/पुनः निर्माण गतिविधि के लिए वस्तुओं की विशिष्ट/अलग सूची प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

**(7) परटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - (i) एलओए का नवीनीकरण, (ii) अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना, (ii) निदेशकों/शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव और (iv) प्रदर्शन की निगरानी।**

7.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स परटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को विनिर्माण और व्यापार गतिविधि के लिए दिनांक 10/05/2006 को एलओए जारी किया गया है। पांच साल का पिछला ब्लॉक 05/08/2022 तक वैध था जिसे 31/03/2023 तक छोटी अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। इसके अलावा, इकाई का एलओए अंतिम बार विशेष रूप से 31/10/2023 तक बढ़ाया गया था मोबाइल फोन और डेटा केबल की डीटीए बिक्री के लिए, जिसके लिए इकाई ने केवल श्री राजपाल सैनी से अग्रिम भुगतान लिया है।

7.2 आगे बताया गया कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क ने अपने पत्र दिनांक 01/08/2023 के माध्यम से निम्नानुसार सूचित किया है:

"इस कार्यालय पत्र दिनांक 17.03.2023 के क्रम में, यह सूचित किया जाता है कि नौभारण बिल (एसबी) नंबर 4008180 दिनांक 03.03.2023, 4048407 दिनांक 29.12.2022 और 4046965 दिनांक

सुरेंद्र मलिक



16.12.2022 के संबंध में एलसीएस, रक्सौल से माल की निकासी के संबंध में इनकार रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद , इकाई से पत्र दिनांक 28.04.2023 और 12.05.2023 के माध्यम से विषय वस्तु पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। जबकि इकाई ने पत्र दिनांक 15.05.2023 के माध्यम से नौभारण बिल (एसबी) संख्या 4008180 दिनांक 03.03.2023 के संबंध में एलसीएस, सोनौली की मुहर के साथ निर्यात के प्रमाण की एक प्रति प्रस्तुत की और सूचित किया कि उन्हें अभी तक अपनी नेपाल पार्टी से मूल ईपी प्रति इसे जमा करने के समय के लिए प्राप्त हुई है और तदनुसार अनुरोध किया गया है। हालाँकि, इकाई एलसीएस, रक्सौल की मुहर वाले नौभारण बिल (एसबी) नंबर 4048407 दिनांक 29.12.2022 और 4046965 दिनांक 16.12.2022 के संबंध में ईपी प्रतियां जमा करने या उक्त बंदरगाह से निर्यात की गैर-निकासी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रही, जैसा कि उनके पत्र दिनांक 27.02.2023 में दावा किया गया है। इकाई से इस कार्यालय पत्र दिनांक 22.05.2023 और 02.06.2023 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण देने फिर से अनुरोध किया गया था।

3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एलसीएस, सोनौली की मुहर वाली ईपी कॉपी की प्राप्ति के मद्देनजर, इस कार्यालय ने पत्र दिनांक 22.05.2023 के माध्यम से उक्त ईपी कॉपी की वास्तविकता के सत्यापन के लिए संबंधित बंदरगाह अधिकारियों यानी एलसीएस, सोनौली से अनुरोध किया।

4. इकाई ने पत्र दिनांक 06.06.2023 के माध्यम से शेष नौभारण बिल (एसबी) एस यानी 4048407 दिनांक 29.12.2022 और 4046965 दिनांक 16.12.2022 के संबंध में एलसीएस, सोनौली की मुहर के साथ ईपी प्रति प्रस्तुत की और सूचित किया कि उनकी नेपाल पार्टी का एलसीएस, रक्सौल में कुछ विवाद था, जिससे उन्होंने एलसीएस, सोनौली से खेप को मंजूरी दे दी। हालाँकि, इकाई फिर से एलसीएस, रक्सौल की मुहर वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और खेप की निकासी में असाधारण देरी के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रही।

5 शेष नौभारण बिल (एसबी) यानि 4048407 दिनांक 29.12.2022 और 4046965 दिनांक 16.12.2022 के संबंध में ईपी प्रतियां जमा करने के मद्देनजर, इस कार्यालय ने उन्हें सत्यापन के लिए पत्र दिनांक 15.06.2023 के माध्यम से एलसीएस, सोनौली को भेज दिया।

6. एलसीएस, सोनौली ने पत्र दिनांक 24.06.2023 के माध्यम से सूचित किया कि उक्त नौभारण बिल (एसबी) नंबर 4008180 दिनांक 03.03.2023, 4048407 दिनांक 29.12.2022 और 4046965 दिनांक 16.12.2022 के संबंध में माल एलसीएस, सोनौली से मंजूरी दे दी गई थी। हालाँकि, उन्होंने इस कार्यालय पत्र दिनांक 15.06.2023 द्वारा मांगे गए विवरण प्रदान नहीं किए और एलसीएस, सोनौली द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट में भी कुछ विसंगतियां देखी गईं। तदनुसार, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.07.2023 के माध्यम से उक्त विसंगतियों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और इसका उत्तर इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

सुरेंद्र मलिक

7. यह ध्यान दिया जा सकता है कि मामले की जांच चल रही है और एलसीएस, सोनौली से माल की निकासी में देरी हो रही है, जिसे इकाई द्वारा अभी तक उचित नहीं ठहराया गया है।

क्र.सं.	नौभारण बिल (एसबी) नंबर/तिथि	एनएसईजेड से हटाने की तिथि	एलसीएस से क्लीयरेंस की तिथि जैसा कि नौभारण बिल (एसबी) के पृष्ठ पर उल्लिखित है	दिनों की संख्या
1	4046965 दिनांक 16.12.2022	23.12.2022	07.05.2023	135
2	4048407 दिनांक 29.12.2022	02.01.2023	0705.2023	125
3	4008180 दिनांक 03.03.2022	07.3.2023	06.05.2023	61

यहां, यह भी आपके ध्यान में लाया जाता है कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), नौएडा और एलसीएस, सोनौली के बीच की दूरी 841 किलोमीटर प्रतीत होती है, जबकि निर्यात खेप की निकासी में लगने वाला समय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, असाधारण रूप से लंबा प्रतीत होता है।

साथ ही, इकाई का यह कथन कि उनकी नेपाल पार्टी ने एलसीएस, रक्सौल से माल की निकासी नहीं कराई या माल रोक लिया, निराधार है। इकाई को भारत के बाहर निर्यात के लिए नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), नौएडा से सीलबंद वाहन/माल जल्द से जल्द सौंप दिया गया था और निर्यात खेप को रास्ते में किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना अनुचित और प्रक्रिया का उल्लंघन है।

8. उपरोक्त के मद्देनजर, यह प्रस्तुत किया गया है कि इकाई द्वारा नौभारण बिल (एसबी) नंबर 4008180 दिनांक 03.03.2023, 4048407 दिनांक 29.12.2022 और 4046965 दिनांक 16.12.2022 के तहत कवर किए गए निर्यात का मामला जांच के अधीन है और विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय द्वारा देखे गए दस्तावेजों में, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी तरह से सत्यापन की आवश्यकता होती है।

9. इसके अलावा, मोबाइल फोन की एलओए या डीटीए बिक्री के नवीनीकरण के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इकाई के पूर्ववृत्त के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

क्र.सं.	दिनांक	इकाई द्वारा राशि रुपये में जमा की जानी है
1	31.10.2023	5,00,000/-
2	30.11.2023	7,00,000/-
3	31.12.2023	बाकी सारी रकम बकाया है.

सुरेंद्र मलिक

ईएम अनुभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इकाई ने 03/11/2023 को 4,00,000/- रुपये जमा किए हैं। उपरोक्त राशि की कटौती के बाद, वर्तमान में, पट्टा किराया (31.12.2023 तक) राशि रु 15,10,215/- बकाया है।

(iii) वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में 8137.22 लाख रुपये की लंबित विदेशी मुद्रा दिखाई गई है। हालाँकि, इकाई ने इस संबंध में प्राप्ति का कोई प्रमाण या समय विस्तार के लिए अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, इकाई ने लंबित विदेशी मुद्रा यानी 8137.22 लाख रुपये की वसूली के लिए समय विस्तार की अनुमति के लिए आरबीआई/एडी बैंक को जमा की गई पावती की एक प्रति भी जमा नहीं की है, जो 9 महीने से अधिक समय से लंबित है।

(iv) इकाई को निर्यात और उसकी प्राप्ति का वर्षवार सही विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

(v) वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) अभी भी बिना अनुलग्नकों के दिए गए हैं।

(vi) इकाई ने लैपटॉप के आईटीसी (एचएस) कोड 84733099 पर विचार करने का अनुरोध किया है। हालाँकि, यह देखा गया है कि उक्त आईटीसी (एचएस) कोड अभी भी गलत है क्योंकि एचएस 8473 पार्ट्स और सहायक के लिए है।

(vii) इकाई के अंत में ऑनलाइन आवेदन अधूरा पड़ा हुआ है, जिसे एचएस 2023 नामकरण और प्रत्येक प्रस्तावित उत्पाद की उत्पादन क्षमता में सही आईटीसी (एचएस) कोड का उल्लेख करते हुए जमा करना होगा।

(viii) निदेशक के रूप में श्री शौर्य शर्मा की नियुक्ति की डीआईआर-12 की प्रति नहीं दी गई है।

(ix) विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तुओं के संबंध में आवश्यक कच्चे माल/पूँजीगत वस्तुओं की सूची दी जानी चाहिए।

7.4 श्री विशाल खुल्लर, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री खुल्लर ने बताया कि वर्तमान में वे लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी और उनके सहायक उपकरण आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आयात करने और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने बकाया लीज रेंट के लिए 4,00,000/- रुपये और शेष 1 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। यथाशीघ्र भुगतान किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वे स्वीकृत पट्टा किराया भुगतान कार्यक्रम पर कायम रहने की कोशिश कर रहे हैं।

सुरेद्र मलिक

7.5 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने भविष्य के लिए स्पष्ट व्यवसाय योजना नहीं दी है। इसके अलावा, वे पट्टा किराया अनुसूची का भी पालन नहीं कर रहे हैं और इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अभी भी अधूरे और अपर्याप्त हैं।

7.6 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद और नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क द्वारा सूचित मामले की गंभीर प्रकृति, लीज किराया जमा करने की अस्पष्ट योजना और इकाई द्वारा भविष्य की व्यावसायिक योजना को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को पहले पट्टा किराया जमा करने और उचित व्यवसाय योजना और पूर्ण दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने पाया कि मुद्दों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क इस मामले को नौएडा सीमा शुल्क को भेज सकता है। जांच के लिए और पूरे दस्तावेजों और पट्टा किराया की मंजूरी के साथ रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मामले को अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जा सकता है।

#### **8. ला मोडा एलेगेंजा - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।**

8.1 बताया गया कि मेसर्स ला मोडा एलेगेंजा को वस्त्र निर्माण के लिए दिनांक 03/02/1997 को एलओए जारी किया गया है। पांच साल का पिछला ब्लॉक 01/12/2022 तक वैध था जिसे 24/08/2023 तक छोटी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

8.2 आगे बताया गया कि पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार है:

(मूल्य लाख रुपये में)					
वर्ष	निर्यात	विदेशी मुद्रा व्यय	एनएफई कमाई	डीटीए बिक्री	लंबित विदेशी मुद्रा
2017-18	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-20	3.76	0.00	3076	0.00	0.00
2020-21	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00
2021-22	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00
2022-23 (01.12.2023 तक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>43.76</b>	<b>0.00</b>	<b>43.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

8.3 यह भी बताया गया कि अप्रमाणित शिकायतों से यह भी पता चला है कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी इकाई में तलाशी ली है। इसके अलावा, वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के अनुसार, इकाई में केवल 1-2 कर्मचारी हैं। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि इकाई पर 2 क्वार्टर का पट्टा किराया भी बकाया है।

8.4 इकाई में भागीदार श्री शरद गुप्ता अनुमोदन से पहले उपस्थित हुए समिति और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री गुप्ता ने बताया कि उनके परिवार में विवाद चल रहा है, जिसके कारण उनके परिवार के सदस्यों

सुरेंद्र मलिक

द्वारा उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि पिछले वर्षों के दौरान उनका प्रदर्शन कम रहा है, उन्होंने निर्यात प्रदर्शन को बढ़ाने की योजना बनाई है और उनके पास अच्छे ऑर्डर हैं।

8.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में अपनी परियोजना के लिए निर्यात आदेशों की प्रति के साथ विधिवत समर्थित नई व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने और संपूर्ण बकाया पट्टा किराया चुकाने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने मामले की वर्तमान स्थिति जानने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजने का भी निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई के एनपीए के संबंध में केनरा बैंक, हौज खास शाखा, नई दिल्ली को एक पत्र लिखा जा सकता है। इकाई के बारे में वाणिज्य विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी के आलोक में, अनुमोदन समिति ने बैठक के कार्यवृत्त को वाणिज्य विभाग को अग्रेषित करने का निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)  
संयुक्त विकास आयुक्त

अरविपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)  
विकास आयुक्त